(तारांकित कालम अवश्य भरें)
पृष्ठ संख्या :

No. 162598

FIRST INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr. P.C.)
(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.* District (जिला) गुड़गांव *P.S. (थाना) SVB *Year (वर्ष) 2017 *F.I.R. No. (प्र.सू.रि.सं.) 16 *Date (दिनांक) 5.7.2017

2. (i) *Act (अधिनियम) ________ *Sections (धाराएँ) ________
(ii) *Act (अधिनियम) IPC & PC Act. *Sections (धाराएँ) 420, 467, 468, 471, 120B IPC
(iii) *Act (अधिनियम) ________ *Sections (धाराएँ) & 13(1)D PC Act.
(iv) *Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराएँ) ________

3. *(a)(क) *Occurrence of offence (घटना का) Day (दिन) बुधवार *Date from (दिनांक से) 5/7/17 Date to (दिनांक तक) ________ *Time Period (पहर) ________ *Time from (बजे से) ________ *Time to (बजे तक) ________
*(b)(ख) Information received at P.S. (थाने पर प्राप्त सूचना की) : *Date (दिनांक) 5/7/17 Time (समय) 4.05 PM.
*(c)(ग) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) Entry No. (प्रविष्ट संख्या) 6 Time (समय) 4.15 PM.

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुई) स्पेशल बाहक Written / Oral (लिखित / मौखिक) : लिखित

5. Place of Occurrence (घटना स्थल का ब्यौरा) : (a)(क) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा एवं दूरी) पूर्व-दक्षिण : Civil Hospital Sohna Beat No. (बीट सं०) लगभग 26/27 KM.
(b)(ख) *Address (पता) ________
(c)(ग) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) Name of P.S. (थाने का नाम) सोहना District (जिला) गुड़गांव

6. Complainant/Informant (शिकायत कर्ता / सूचना देने वाला) जांच नं 4 दिनांक 23/5/16 गुड़गांव पर दर्ज।
(a)(क) Name (नाम) नि० कुलवन्त सिंह (b)(ख) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम) SVB GGM Unit प्रभारी
(c)(ग) Date/Year of Birth (जन्म तिथि वर्ष) ________ (d)(घ) Nationality (राष्ट्रीयता) भारतीय
(e)(ङ) Passport No. (पासपोर्ट सं०) ________
Date of Issue (जारी करने की तिथि) ________ Place of Issue (जारी करने का स्थान) ________
(f)(च) Occupation (व्यवसाय) Govt. Servant (g)(छ) Address (पता) PS SVB GGM.

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)
1. ~~डा० सुधीर चौधरी हाल चिकित्सा अधिकारी जिला कारागार भोंडसी~~ (हि०)
2. गौरव मलिक पुत्र स्व० बृजबीर सिंह R/o 16A/EE, कृष्णा नगर (S.H.) बहादुरगढ़ ~~सुधरा~~
3. (U.A.) उ०पु०

POLICE STATION S.V.B. थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) गुड़गांव मण्डल गुड़गांव Gurgaon Range Gurgaon

इस समय एक तहरीर बाद अनुमोदित D.G./SVB(H) PKL के पत्र क्रमांक 8039/E-2/SVB(H) दि० 27/6/17 के द्वारा द्वारा डाक प्राप्त हुई है, जिसका विवरण इस प्रकार से है, सेवा में प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मंडल गुरुग्राम श्रीमान जी, निवेदन है, कि जांच क्रमांक नं. 04 दिनांक 23.5.2016 मुख्य ग्राम मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के आदेश क्रमांक 49/7/15-4-चौ० (1) दिनांक 17.5.2016 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के डायरी क्रमांक 6286 दिनांक 23.5.2016 व इस कार्यालय के डायरी क्रमांक 1011 दि० 1.6.2016 के अनुसार पड़ताल हेतु रा० चौ० ब्यू० में प्राप्त हुई थी जिसमें श्री चन्द्र कुमार बहेजा एडवोकेट वासी 1481/3 संजीव नगर गुड़गांव की शिकायत के आधार पर निम्नलिखित आरोप की पड़ताल की जानी थी कि चन्द्र कुमार बहेजा एडवोकेट वासी 1487/3 राजीव नगर गुड़गांव की पुत्री करुणा बहेजा ने MBBS किया हुआ है और आगे की उच्च शिक्षा के लिए पी.जी. Gynecology में दाखले के लिए मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए डाक्टर सुधीर चौधरी जो कि सोहना सामान्य हस्पताल में कार्यरत था अब भोंडसी जेल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त है से बातचीत की तो डा० सुधीर चौधरी ने कहा कि वह अपने साले के साथ मिलकर इसका महाराष्ट्र के किसी कालेज में दाखिला करा देगें परन्तु आपको 75 लाख रुपये देना होगा जो 72 लाख रुपये में बात तय हो गई जो एडमिशन न कराकर डाक्टर सुधीर चौधरी व उसके रिश्तेदार महेश कालिया ने मिलकर 72 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। उक्त आरोप की पड़ताल निरीक्षक सत्य कुमार राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम द्वारा पुलिस अधीक्षक रा० चौ० ब्यू० गुड़गांव मंडल गुड़गांव की देखरेख में पूर्ण की गई थी। पड़ताल के दौरान पाया गया, कि श्री चन्द्र कुमार बहेजा की पुत्री करुणा बहेजा ने वर्ष 2012-13 में कृष्णा इंस्टीच्यूट आफ मैडिकल साईंस डीम्ड विश्वविद्यालय कराड़ जिला सितारा महाराष्ट्र से एम.बी.बी.एस. डिग्री पास की जानी जाई गई है। शिकायतकर्ता अपनी पुत्री करुणा बहेजा को पी.जी. गायनोकलोजी की डिग्री करवाना चाहता था। शिकायतकर्ता चन्द्र कुमार बहेजा के पास पंकज पुत्र महेश चन्द्र वासी लोहिया वाला, सोहना बतौर मुन्शी कार्यरत था। मुन्शी होने के कारण उसे शिकायतकर्ता चन्द्र कुमार बहेजा की पुत्री करुणा बहेजा के एम.बी.बी.एस. में मैनेजमेंट कोटे की सीट से दाखिला करवाने का पता था। जिस पर उसने शिकायतकर्ता को कहा कि डा० सुधीर चौधरी सरकारी हस्पताल सोहना को जानता है। डा० सुधीर चौधरी मैनेजमेंट कोटे की सीट पर दाखिला करवाने का काम करता है। दिनांक ... पर पंकज कुमार ने शिकायतकर्ता के चैम्बर में डा० सुधीर चौधरी का परिचय करवाया। जिस पर डा० सुधीर चौधरी जो सामान्य

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट की मद संख्या 7 की संलग्नक)

Physical features deformities and other details of the suspect

जो सामान्य हस्पताल खैड़ा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त था से दाखिले हेतु बातचीत की। डा० सुधीर चौधरी ने बतलाया कि वह मुम्बई (महाराष्ट्र) में सचिन घोले नाम के व्यक्ति को जानता है। वह मैनेजमैन्ट सीट पर महाराष्ट्र में दाखिला करवाने का काम करता है। इस बारे डा० सुधीर चौधरी ने उक्त व्यक्ति से मुम्बई में बात की। शिकायतकर्ता ने उसकी लड़की करुणा वर्मा को यह कोर्स करवाने के लिये डा० सुधीर चौधरी को इसके सरकारी निवास पर दि० 8/5/2013 को 3 लाख रुपये नकद अपने भाई आसीम जाखड़ के सामने दि० 10.6.2013 को 12 लाख रुपये आसीम जाखड़ के सामने उसके ऑफिस साइन्स... के सामने मुख्यालय चैक कर दिये इन दोनों राशियों की रसीद/इश्यू पेपर पर बनाकर आसीम जाखड़ को बतौर गवाह रखकर शिकायतकर्ता को दी जानी कही गई थी दि० 23.8.2013 को 7 लाख रुपये सिंडिकेट बैंक के चैक नं० 21628222 के द्वारा तथा दि० 6/9/13 को 3 लाख रुपये नकद दिये जाने कहे गये हैं जो कुल 25 लाख रुपये शिकायतकर्ता द्वारा डा० सुधीर चौधरी को देने कहे गये हैं। जांच से पाया गया है, कि शिकायतकर्ता के पास एक मेल दिनांक 24.8.2013 को पदमश्री डा० डी० वाई० पाटिल विश्वविद्यालय से एम.डी. पीडियाट्रिक्स के दाखिले के लिए आनी पाई गई है। इस मेल बारे शिकायतकर्ता द्वारा डा० सुधीर चौधरी को बतलाया कि उसने अपनी पुत्री के लिए एम.डी. गायनोकालोजी के लिए बात की थी परन्तु यह मेल एम.डी. पीडियाट्रिक्स के लिए आई है। इसके पश्चात डा० सुधीर चौधरी द्वारा विश्वविद्यालय से दूरभाष पर बातचीत करने उपरान्त उसी दिन दूसरी मेल एम.डी. गायनोकालोजी में दाखिले के लिए आनी पाई गई है। इसी दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अपने स्तर पर पदमश्री डी० वाई० पाटिल विश्वविद्यालय से दाखिले बारे पता किया जाना पाया गया है जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि इस विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी मेल दाखिले के लिए नहीं भेजी गई है और न ही शिकायतकर्ता की लड़की करुणा वर्मा का दाखिला सूची में रखा गया। जांच से पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा डा० सुधीर चौधरी से दाखिला न होने के कारण उसे द्वारा दिये गये 7 लाख रुपये वापिस लेने बारे आग्रह किया गया। जिस पर डाक्टर सुधीर चौधरी ने शिकायतकर्ता चन्द्र प्रकाश को चैक

में रखकर उससे पैसे वापिस दिलवाने का लालच देकर डाक्टर
रमेश सिंह हस्पताल बादशाहपुर व सचिन खोले पुत्र विश्वनाथ
खोले निवासी मुम्बई के विरुद्ध मुकदमा नं० 434/2013 थाना बादशाह
पुर में दर्ज करवाया जाना पाया गया है। जांच के दौरान
शिकायतकर्ता चन्द्र प्रकाश व उसकी लड़की करुणा बेदी ने
अपने-2 शपथ पत्र प्रस्तुत किये कि उन्होंने डा० सुधीर
चौधरी व उसके रिश्तेदार गौरव मालिक को किश्तों में
पैसे दिये हैं। इसके अतिरिक्त डा० सुधीर चौधरी ने भी
अपने ब्यान में शिकायतकर्ता से पैसे लेना माना है।
जिससे स्पष्ट है, कि डा० सुधीर ने उसके रिश्तेदार गौरव
मालिक से मिलीभगत करके चन्द्रप्रकाश व उसकी लड़की
करुणा बेदी को धोखे में रख कर व फर्जी दस्तावेज
तैयार करके अपने पद का दुरुपयोग करके 71 लाख रुपये
धोखाधड़ी की नियत से प्राप्त किये हैं। इसलिए डा० सुधीर
चौधरी व उसके रिश्तेदार गौरव मालिक के विरुद्ध धारा 420, 467,
468, 471, 120B भा०द०सं० व 13(1)डी० पी०सी० एक्ट के तहत अभियोग
अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया था। तफ्तीश के दौरान
यदि किसी अन्य की मिलीभगत पाई जावे तो उसे भी
तफ्तीश के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया
था। जो अब गृह सचिव, हरियाणा चौकसी विभाग
के पत्र क्रमांक 49/77/2015-4 चौकसी-I दि० 12-5-2017
व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के
कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 6283/I-2/रा० चौ० ब्यू०(ह) दिनांक
19-5-2017 के अनुसार डा० सुधीर चौधरी पुत्र स्व० श्री महीपाल
सिंह निवासी मकान नं. 425 न्यू जज कालोनी मेन रोड ओल्ड
फरीदाबाद हाल चिकित्सा अधिकारी जिला कारागार भोंडसी व
श्री गौरव मालिक पुत्र स्व० श्री ... जाति-जाट निवासी 14AB
कृष्णा नगर थाना शहर मथुरा उ०प्र० के विरुद्ध धारा 420, 467,
468, 471, 120B भा०द०सं० व 13(1)डी० पी०सी० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। जो पुलिस अधीक्षक राज्य चौ०
ब्यू० गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम के आदेशानुसार मेरा निरीक्षक द्वारा
मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर तैयार करके व श्री सतेन्द्र
प्रकाश निरीक्षक रा० चौ० ब्यू० गुरुग्राम को तफ्तीश करने के लिए
मिसल सौंपे जाने के आदेश प्राप्त होने उपरान्त —

लगातार —— जारी.

...Range Gurg...

12. F.I.R. contents (प्र. सू. रि. की विषय वस्तु) (attach separate sheet, if required) (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ संलग्न करें)

तहरीर हजा लैटर मार्क बराये कायमी मुकदमा बदस्तखत ई.ए.एस.आई. एस. जोगेन्द्र नं. 1550/गुडगांव के अरसाल थाना है मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जावे। आइंदा रिकार्ड साथ सलंग्न है दस्तखत/- अंग्रेजी कुलवन्त सिंह निरीक्षक रा०पौ०थ्यू० उपरोक्त जेवात मि. 5.7.2017 अज थाना:- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। FIR की पांच प्रतियां बजरिया मार्फत एक ही समय में चाक कीगई जो सेवा में अफसरान बाला व इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुड़गांव को नियमानुसार भेजी जा रही है। —

13. Action taken (की गई कार्यवाही) / Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No. 2 चूंकि उक्त सूचना द्वारा, मद सं. 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने का पता चलता है :

1. Registered the case and took up the investigation or (मामला पंजीकृत किया और जाँच आरम्भ की गई या)
2. Directed Sh./Smt./Km. (Name of I.O.) श्री/श्रीमती/कु. (जांच अधिकारी का नाम) नि० कुलवन्त सिंह Rank (पद) No. (नं०) निरीक्षक to take up the investigation or (को जाँच आरम्भ करने के निर्देश दिये गए या)
3. Refused investigation due to (जिन कारणों से जाँच करने से इनकार किया गया) ______ Or (या)
4. Transferred to P.S. (मामला स्थानान्तरित किया गया, थाने का नाम) ______ District (जिला) ______ on point of jurisdiction (क्षेत्राधिकार की दृष्टि से)

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant informant, free of cost. (प्र०सू०रि० शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले को पढ़कर सुनाई गई, जिसने सही लेखन की पुष्टि की और शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले को एक प्रति निःशुल्क प्रदान की गई।)

R.O.A.C. (पढ़कर सुनाया और सही पाया गया)

Signature of Officer incharge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Narender

14. Signature/Thumb impression of the Complainant/informant (शिकायतकर्ता/इतिला देने वाले के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

Name (नाम) नरेन्द्र कुमार
Rank (पद) निरीक्षक No. (संख्या) ______
पि. SVB Gurugram.

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालय को भेजने की तिथि और समय) 5/7/2017

POLICE STATION S.V.B. ... Gurgaon Range Gurgaon